<u>**न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं**</u>

पीठासीन अधिकारी—लक्ष्मण सिंह कुड़ी
आई.ए.एस.

रेफरेन्स प्रा0प0 संख्या 12 / 2019

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनूं।

— प्रार्थी

बनाम

असगर पुत्र करीमखां, जाति मुसलमान, निवासी माखर, तहसील व जिला झुंझुनूं (मृतक)
1/1 इकबाल पुत्र असगर खां, निवासी वार्ड नं0 20, शेखावत कालोनी, चिकित्सा महाविद्यालय के पास, चूरू, मो0न0 9950484084

— अप्रार्थी

—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

—

1. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय एडवोकेट— प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री परिवेश कुमार, एडवोकेट— अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

<u>**आदेश**</u>

दिनांक 23.01.2023

1. पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के द्वारा प्रस्तुत की गई है। रेफरेन्स के तथ्य निम्न प्रकार से है कि मौजा माखर पटवार मण्डल माखर तहसील व जिला झुंझुनूं की हाल जमाबन्दी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 273 के अनुसार ग्राम माखर मे स्थित भूमि ख0न0 332 रकबा 1.01 है0 किस्म बारानी तृतीय की खातेदारी असगर पुत्र करीमखां, जाति मुसलमान, सा0 देह गैर खातेदार के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि के गत ख0न0 एवं पूर्व के रिकार्ड की स्थिति निम्नानुसार दर्ज रिकार्ड है:—

क्र0 सं0	जमाबन्दी सम्वत्	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	जमीन 3 गैर मोरूसी कृषक का नाम व विवरण
1.	2012	360	274 बीघा 9 बिश्वा	गै0मु0नदी	राजकीय सिवायचक
2.	2025—2028	360	149 बीघा 9 बिश्वा	गै0मु0नदी	नोट आदेश जिलाधीश महोदय, झुंझुनूं के कमांक 2265—67 दिनांक 10.06.67 भूमि ख0न0 360 तादादी 268 बीघा 18 बिश्वा 360 / 479 तादादी 23 बीघा 1 बिश्वा कुल 291 बीघा 19 बिश्वा गै0मु0नदी में से 128 बीघा भूमि का प्रकार बारानी सोयम लगानी 62 पैसा प्रति बीघा वसूल किया जाएगा। शेष 133 बीघा 19 बिश्वा का प्रकार गै0मु0 नदी रहेगा।
3.	2025—2028	360 मीन	4 बीघा	बारानी सोयम	करीमखां पुत्र जुमदीखां, जाति कायमखानी सा0 देह गैर खातेदार
4.	2029—2032	360	4 बीघा	बारानी	करीमखां पुत्र जुमदीखां, जाति

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:31:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनू

छाया प्रति प्रमाणित

		मीन		सोयम	कायमखानी सा0 देह गैर खातेदार
5.	2033–2036	360 मीन	4 बीघा	बारानी सोयम	करीमखां पुत्र जुमदीखां, जाति कायमखानी सा0 देह गैर खातेदार
6.	2042–2045	360 मीन	4 बीघा	बारानी सोयम	असगर पुत्र करीमखां, जाति कायमखानी सा0 देह गैर खातेदार
7.	2060–2063	332	1.01 है0	बारानी 3	असगर पुत्र करीमखां, जाति कायमखानी सा0 देह गैर खातेदार
8.	2062–2065	332	1.01 है0	बारानी 3	असगर पुत्र करीमखां, जाति कायमखानी सा0 देह गैर खातेदार
9.	2064–2067	332	1.01 है0	बारानी 3	असगर पुत्र करीमखां, जाति कायमखानी सा0 देह गैर खातेदार
10.	2068–2071	332	1.01 है0	बारानी 3	असगर पुत्र करीमखां, जाति कायमखानी सा0 देह गैर खातेदार
11.	2074–2077	332	1.01 है0	बारानी 3	असगर पुत्र करीमखां, जाति कायमखानी सा0 देह गैर खातेदार

उक्त वर्णित भूमि गै0मु0 नदी होने से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने के कारण खातेदारी दी जानी उचित नही है। उक्त भूमि की खातेदारी किसी निजी व्यक्ति को दिया जाना या अन्तरण किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है। उक्त भूमि के संबंध में किये गये समस्त प्रकार के आवंटन/नियमन/अन्तरण तथा आज तक की गई परिवर्तन की कार्यवाही प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के यहां दर्ज एस0बी0सिविल रिट पिटिशन संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के अन्दर दिये गये निर्णय के अनुसार उक्त भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने के कारण खातेदारी से हटाई जाकर राज्य सरकार के नाम की जानी आवश्यक है। सार्वजनिक उपयोग की उक्त विवादित भूमि किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी कब्जे में दिया जाना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार की भूमियो की सुरक्षा करना प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) का कर्तव्य है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन की आड में गैर खातेदारी अपने प्रभाव से किसी प्रकार से उक्त विवादित भूमि की खातेदारी ग्रहण कर लेता है तो राज्य सरकार की हक तहफी होगी, अपूर्तनीय क्षति होगी, आमजन को असुविधा होगी, आवश्यक मुकदमेबाजी बढेगी तथा अनेको कानूनी पेचदगिया उत्पन्न हो जावेगी। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम माखर में स्थित ख0न0 332 रकबा 1.01 है0 किस्म बारानी तृतीय की खातेदारी अप्रार्थीगण के खाते से हटाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे तथा अन्य सिद्धि जो राज्य हित व सार्वजनिक हित में दिया जाना उचित हो व भी दिलाने की कृपा करे।

6. बहस सुनी गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक (प्रार्थी) ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम माखर की सरहद मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 332 रकबा 1.01 हैक्टर के मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2012 से 2028 के अनुसार पुराने भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 274 बीधा 9 बिश्वा थे, की खातेदारी राजकीय खाते मे गैर मु0 नदी दर्ज रिकार्ड थी। ग्राम जमाबन्दी संवत् 2025 से 2028 मे उक्त भूमि की खातेदारी गल[illegible] दर्ज कर दी जो पलटने योग्य है। ऐसा नामान्तरकरण स्वीकार करने तथा ऐसा रिकार्ड तैयार करने का [illegible] व्यक्ति को कोई कानूनी अधिकार नही है। अतः प्रार्थी का प्रा0प0 स्वी[illegible] के खाते से हटाया जाकर पुनः गै0मु0 नदी के नाम दर्ज किये जा[illegible] रेफरेन्स माननीय [illegible] मण्डल अजमेर को भेजे जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:31:08 IST
Reason: SelfAttested

छायाप्रति प्रमाणित

जिला कलक्टर झुन्झुनू

कार्यालय अधीक्षक
कलेक्ट्रेट, झुन्झुनूं

7. वकील अप्रार्थी ने वकील प्रार्थी (राजकीय अधिवक्ता) के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि जमाबन्दी संवत् 2021–24 मे दर्ज आदेश क्रमांक 2265–67 दिनांक 10.06.2067 को विवादित भूमि की किस्म बारानी सोयम करने के आदेश माननीय जिला कलक्टर, झुंझुनूं द्वारा जारी किये गये थे उक्त आदेश को प्रार्थी ने कहीं ही चेलेंज नही किया है। उक्त आदेश आज भी प्रभावी है। विवादित भूमि उक्त गत खसरा नं0 360 मे शामिल है जिसका वर्तमान खसरा नं0 332 है। अप्रार्थीगण विवादित भूमि की आज भी काश्त कर रहे है। अतः प्रार्थी का यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। .

8. पत्रावली का अवलोकन किया व बहस राजकीय पैरोकार पर बगौर मनन किया। ग्राम माखर की सरहद मे स्थित विवादित भूमि खसरा नम्बर 332 रकबा 1.01 हैक्टर जिसके पुराने भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 274 बीधा 9 बिश्वा थे, की खातेदारी राजकीय खाते मे गैर मु0 नदी दर्ज रिकार्ड थी। ग्राम जमाबन्दी संवत् 2025 से 2028 मे उक्त भूमि की खातेदारी गलत तरीके से दर्ज कर दी जो पलटने योग्य है। है। उक्त वर्णित भूमि गैर मुमकिन नदी होने से प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने के कारण खातेदारी दी जानी उचित नही है। पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजात व जमाबन्दी से तथा राजकीय अभिभाषक के कथनों से पुष्टि होती है कि उक्त आराजी पूर्व में गैर मुमकिन नदी भूमि रही है, वर्तमान में अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में हम रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को किया जाना उचित समझते हैं एवं विवादग्रस्त आराजी की स्थिति 15 अगस्त, 1947 के समय की किया जाना उचित समझते है।

9. अतः ग्राम माखर तहसील व जिला झुंझुनू स्थित अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज हुई भूमि हाल खसरा नम्बर 332 रकबा 1.01 हैक्टर वाके ग्राम माखर की गैरखातेदारी निरस्त करवाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स प्रस्तुत किया जाकर निवेदन है कि भूमि खसरा नम्बर 332 रकबा 1.01 हैक्टर वाके ग्राम माखर की गैरखातेदारी अप्रार्थीगणों के नाम से खारिज फरमाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करवाने के आदेश फरमाये जावे। साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जोधपुर के निर्णय दिनांक 02.08.2004 अब्दुल रहमान बनाम सरकार की पालना में विवादग्रस्त आराजी की स्थिति 15 अगस्त, 1947 के समय की किये जाने के भी आदेश फरमाये जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के यहां प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार झुंझुनूं को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 23.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
ज़िला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:31:08 IST
Reason: SelfAttested